



प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 33 /2026 /229 /चार-2026-1712415 दिनांक 29 जनवरी, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या- 3987/सं०नि०-20(कै०आ०अ०/गै०वे०-17)/2025-26 दिनांक 14 जनवरी, 2025 एवं शासनादेश संख्या- 33 /2026 /229 /चार-2026-1712415 दिनांक 29 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 33 /2026 /229 /चार-2026-1712415 दिनांक 29 जनवरी, 2026 के प्रस्तर-2 में टंकण त्रुटिवश 'रू० 18.50 लाख (रू० अठ्ठारह लाख पचास हजार मात्र)' के स्थान पर 'रूपये 36,66,000/- (रूपये छत्तीस लाख छियासठ हजार मात्र)' अंकित हो गया है।

3. इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 33 /2026 /229 /चार-2026-1712415 दिनांक 29 जनवरी, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29 जनवरी, 2026 के प्रस्तर-2 में अंकित 'रूपये 36,66,000/- (रूपये छत्तीस लाख छियासठ हजार मात्र)' के स्थान पर 'रू० 18.50 लाख (रू० अठ्ठारह लाख पचास हजार मात्र)' पढ़ा जाए।

4. उक्त शासनादेश संख्या- 33 /2026 /229 /चार-2026-1712415 दिनांक 29 जनवरी, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 36 /2026/ 331 (1) /चार-2206-1712415, तद्दिनांक।**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- मंत्री, आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, लखनऊ ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।